

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.2(ग)(1) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-1/ 981 - 87

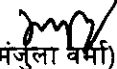
दिनांक :- 17.8.12

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय के कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश / पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

| क्र.स.<br>(1) | लिक नं.<br>(2) | नाम (सर्वश्री) / पदनाम<br>(3)                             | वर्तमान विभाग<br>(4)                                    | अतिरिक्त कार्य का विभाग<br>(5)                                                                     | अतिरिक्त कार्य का पद<br>(6)         |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1             | 3006           | मदन लाल / सहायक<br>लेखाधिकारी ग्रेड -<br>द्वितीय          | मुख्य वन संरक्षक (वृत्त),<br>वन विभाग, अजमेर -<br>19315 | अधीक्षक, जनाना अस्पताल,<br>चिकित्सा शिक्षा विभाग,<br>अजमेर - 19247                                 | सहायक लेखाधिकारी<br>ग्रेड - प्रथम   |
| 2             | 9519           | विलास चन्द पांडे /<br>सहायक लेखाधिकारी ग्रेड<br>- द्वितीय | सहायक आयुक्त,<br>देवस्थान विभाग,<br>उदयपुर - 19761      | प्राचार्य, पोलीटेकनिक कॉलेज<br>(जीडब्लूपी), तकनीकी शिक्षा<br>(पोलीटेकनिक) विभाग,<br>उदयपुर - 20275 | सहायक लेखाधिकारी<br>ग्रेड - द्वितीय |

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

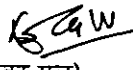
  
(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(ग)(1) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-1/ 981 - 87

दिनांक :- 12.8.12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II) / संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित निजी पत्रावली।

  
(सांवर मल)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)